<u>न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर</u>

<u>सरकार——बनाम——काली प्रसाद आदि</u>
सत्र परीक्षण सं0—132/2011
<u>सी.एन.आर.नं0—यूपीएएन01001459—2011</u>

मु0अ0सं0—170/2011
धारा—147,148,149,307,323,504,506 भा0दं0सं0
व धारा—27 आर्म्स एक्ट
थाना—आलापुर
जिला— अम्बेडकरनगर।

<u>20.09.2021</u>

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त कमलेश कुमार उपस्थित। अभियुक्तगण काली प्रसाद एवं अखिलेश कुमार की हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत, मात्र आज के लिए स्वीकृत। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता फूलपत्ती की मृत्यु आख्या थाने से प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है। उक्त आख्या को साबित करने के लिए सी0डब्लू—1 कां0 लाल बिहारी यादव सी0पी0 94 का साक्ष्य दिनांक—01.05.2018 को अंकित हो चुका है। परन्तु उपशमन आदेश अभी तक पारित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है, कि अभियुक्ता फूलपत्ती की थाना से प्राप्त मृत्यु आख्या **प्रदर्श—ख1** में इस आशय की आख्या अंकित है कि ''उक्त अभियुक्त के घर जाया गया तो पता चला कि अभियुक्त की मृत्यु 01 वर्ष पहले हो चुकी है।'' संबंधित थाना द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत—पगहरा वि0ख0— रामनगर जिला—अम्बेडकरनगर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण प्रस्तुत की गयी है। थाना से प्राप्त आख्या एवं उसके साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण—पत्र को सी0डब्लू0—1 कां0 लाल बिहारी यादव के द्वारा साबित किया गया है। इस प्रकार थाने द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या प्रदर्श—ख1 व ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि अभियुक्ता फूलपत्ती की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्ता फूलपत्ती के विरूद्ध मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की कोई औचित्य नहीं है। अतः अभियुक्ता फूलपत्ती के विरूद्ध वाद उपशमित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता फूलपत्ती के विरूद्ध वाद उपशमित किया जाता है। पत्रावली दिनांक—11.10.2021 को साक्ष्य हेतु पेश हो। साक्षी तलब हों।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0—यू.पी. 6316

<u>दिनांक—20.09.2021</u>